न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र संख्याः— 76 / 2012

लज्जावती पत्नी श्री मवासी जाति जाटव निवासी सेवर तहसील व जिला भरतपुर
.....प्रार्थीया

बनाम

1— परियोजना निदेशक,भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग (परियोजना इकाई नेशनल हाईवे संख्या 11) जयपुर
2— भूमि आवाप्ति अधिकारी,(उपखण्ड अधिकारी) तहसील व जिला भरतपुर राज0
.....अप्रार्थीगण

उपस्थितः—
1—श्री नरेश सिंघल अभिभाषक प्रार्थी
2—श्री दीपक शर्मा, एन.एच

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3जी(5), नेशनल हाईवे एक्ट बाबत अवार्ड दिनांक 18.04.2007 प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर बावत खसरा नम्बर 1836 / 0.05 हे.एन.एच.डब्ल्यू—11

निर्णय

दिनांक 03.09.2019

प्रार्थिया ने यह प्रार्थना पत्र याचिका पिटीशन अन्तर्गत धारा 3 जी (5) विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वाके ग्राम सेवर कलां तहसील भरतपुर स्थित आराजी खं. नं. 1836 / 0.43 हैक्टर में प्रार्थिया का हिस्सा 1836 / 1 के रूप में दर्ज है। उक्त आराजी में प्रार्थीया का 22 एयर आराजी पर कब्जा है। प्रार्थीया की उक्त कब्जे शुदा आराजी 22 एयर में वतरफ उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 1836 / 1 में दुकाने बनी हुई है और इसी तरफ से प्रार्थीया की उक्त आराजी में से 5 एयर जमीन दुकानों सहित फोरलेन नेशनल हाइवे संख्या 11 में आवप्त हुई जिसका अवार्ड दिनांक 18.04.2007 को जारी किया गया था और इसमें प्रार्थिया की कुल 5 एयर आराजी को अवाप्त किया गया। लेकिन प्रार्थिया को मुआवजा मात्र 2 एयर जमीन का अदा किया गया। शेष 3 एयर का कोई भी मुआवजा प्रार्थिया को प्रदान नहीं किया गया है। प्रार्थिया की 5 एयर आराजी को

अप्रार्थीगण द्वारा अवाप्त किया गया है और अवाप्त शुदा आराजी में सडक का निर्माण किया जा चुका है। केवल अवार्ड में दुरस्ती होनी है। प्रार्थिया का 2 एयर के स्थान पर 5 एयर का मुआवजा वर्तमान वाणिज्यिक दर से गणना करके पारित होना है। प्रार्थिया अपनी खातेदारी व कब्जे शुदा आराजी खसरा नम्बर 1836 के भाग 1836/1 से 5 एयर जमीन जो कि प्रार्थिया के स्वामित्व व कब्जे की थी पर कब्जा अप्रार्थीगण द्वारा कर सड़क निर्माण कर लिया गया है।

अन्त में प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि खं. नं 1836 के हिस्सा 1836/1 में से 5 एयर अवाप्तशुदा आराजी का मुआवजा वर्तमान वाणिज्यिक दर से प्रार्थिया को दिलाया जावे अथवा प्रार्थिया की 3 एयर जमीन वापिस दी जावे।

प्रार्थना पत्र याचिका दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी एन.एच. की ओर से जबाव व लिखित बहस भी पेश की गई जो शामिल पत्रावली है।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के अभिभाषक गण की बहस सुनी गई। योग्य अभिभाषक प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को ही दोहराते हुए बताया कि प्रार्थिया का आ.ख.न. 1836 में से 5 एयर रकवा नेशनल हाईवे भूमि अवाप्ति द्वारा अवाप्त किया गया है जबकि प्रार्थिया को केवल 2 एयर जमीन का ही मुआवजा दिया गया है। इनका कहना है कि 3 एयर अवाप्त रकवा का मुआवजा प्रार्थिया को दिलाया जावे। अवाप्त शुदा रकवा वाणिज्यिक उपयोग का है इसलिए कुल 5 एयर रकवे का मुआवजा वाणिज्यिक दर से दिलाया जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी नेशनल हाईवे ने जाहिर किया कि उनके द्वारा लिखित बहस पेश की जा चुकी है। प्रार्थना पत्र प्रार्थिया खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष अभिभाषक के कथनों पर मनन किया। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी एन.एच. द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर गौर किया। योग्य अभिभाषक प्रार्थिया का मुख्य कथन है कि उसकी आराजी खसरा नम्बर 1836 के रकवा में 5 एयर वाणिज्यक रकवा अवाप्त किया गया है, जब कि उसे मुआवजा 2 एयर का दिया गया है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी एन.एच. का मुख्य कथन है कि प्रार्थिया की आराजी खसरा नम्बर 1836 में से 5 एयर रकवा अवाप्त किया गया है। जिसका नियमानुसार अवाप्त शुदा रकवा का मुआवजा एवं मौके पर हो रहे निर्माण वगैरा का नियमानुसार मुआवजा दिया गया है।

प्रकरण में मुख्य बिन्दु तय किया जाना है कि ''आया प्रार्थी के खसरा नम्बर 1836 में से 5 एयर रकवा का मुआवजा दिया गया है अथवा नहीं।''

पत्रावली में उपलब्ध फोटो प्रति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 आगरा भरतपुर सेक्शन के राजस्थान राज्य के चौडीकरण हेतु प्रस्ताविक भूमि का मुआवजा प्रपत्र आराजी खसरा नम्बर 1836 के अवलोकन किया गया। उक्त प्रपत्र के कालम नम्बर 3 में खसरा नम्बर 1836 अर्जित रकवा 0.05 एयर भूमि किस्म चाही का मुआवजा राशि कालॅम नम्बर 7 में दर्ज है तथा कालम नम्बर 8 (सम्पत्ति आदि का मूल्य) दर्ज किया गया है। तथा अन्य कालॅम में हो रहे इन्द्राज से जाहिर है कि उक्त नियमानुसार सुखाचार क्षतिपूर्ति की राशि सहित कुल मुआवजा रूप्ये 935613.80 निर्धारित किया गया है। इससे निर्विवाद रू‍प से स्पष्ट है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रार्थिया की आवाप्त की 0.05 एयर भूमि अवाप्त की गई है तथा 0.05 एयर का अवार्ड एवं अवाप्त शुदा रकवा पर स्थित सम्पत्ति का मूल्य निर्धारण किया जाकर भुगतान किया गया है। जमाबन्दी सम्वत् 2063–66 ग्राम सेवर तहसील भरतपुर के कॉलम नम्बर 11 लगायत 17 में हो रहे इन्द्राज से स्पष्ट है कि खसरा नं0 1836/0.43 में ये 5 ऐयर रकवा एन.एच 11 के नाम दर्ज है। अतः प्रार्थिया का यह कहना कि उसे 0.02 एयर भूमि का ही मुआवजा दिया गया है उक्तानुसार स्वीकार योग्य नहीं रहता है। अतः प्रार्थिया किसी भी प्रकार की रिलीफ प्राप्त करने की अधिकारी नहीं रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 03.09.2019 को सुनाय जाकर लिखाया गया।

(डॉ. आरुषी मलिक)
जिला कलक्टर
भरतपुर